कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:– 593 दिनांक:– 01.6.16

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– पलामू जिला में मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत ग्राम हिसरा उर्फ पोखराहा में सरकारी पोलटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना हेतु 2.58 हे0 वन भूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का पत्रांक 1589 दिनांक 12.05.2016

महाशय,

प्रासंगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु 2.58 हे0 (जंगल–झाड़) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तु स्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है।

1. प्रस्तावित वनभूमि पलामू जिला के मेदनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है। इस परियोजना में कुल 4.26 हे0 भूमि अन्तर्ग्रस्त है, जिसमें 2.58 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़) तथा 1.68 हे0 गैर वनभूमि है।
2. प्रस्तावित वनभूमि भी विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना एवं थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट संख्या	रकबा (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
01	मेदनीनगर	हिसरा उर्फ पोखराहा	मेदनीनगर / 210	144	83	1.15	
02	मेदनीनगर	हिसरा उर्फ पोखराहा	मेदनीनगर / 210	144	1028	1.43	00

3. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है। प्रभावित होने वाली वृक्षों की कुल संख्या 44 है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Form A Part-I में आवेदन विहित प्रपत्र में अभियुक्ति के साथ दर्ज है।
5. प्रस्ताव के साथ Part-II एवं IIIA में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदनीनगर एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू का मंतव्य सहित अभियुक्ति दर्ज है। साथ ही वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदनीनगर का अनुसंशा दर्ज है।
6. प्रस्ताव के साथ Part IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज है।
7. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
8. प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेषण संलग्न है।

9. चूँकि कुल प्रस्तावित वनभूमि जंगल–झाड़ श्रेणी की है अतः इसके उपयोग हेतु उपायुक्त, पलामू का पत्रांक 1525 दिनांक 12.12.2015 द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

10. F.R.A, 2006 के तहत् प्रस्तावित 2.58 हे0 वनभूमि पर उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 416 दिनांक 05.04.2016 द्वारा दावा रहित अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। साथ ही ग्राम सभा कार्यवाही की प्रति संलग्न है।

11. प्रस्तावित वनभूमि को 1:12500 स्केल के टोपोशीट पर D.G.P.S दिखाते हुए मैप संलग्न है। परन्तु 1:50,000 के स्केल पर प्रस्तावित वनभूमि को चिन्हित कर नक्शा संलग्न नहीं है।

12. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि को चिन्हित कर मौजा मैप संलग्न है।

13. प्रस्ताव के साथ Geo-reference digital मैप संलग्न है।

14. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी, बायोस्फेयर व्याघ्र परियोजना, हाथी कोरिडोर का हिस्सा नहीं है।

15. क्षेत्रीय पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि से निकटतम वन्य प्राणी आश्रयणी की दूरी 7 कि0मी0 है अर्थात् यह क्षेत्र Eco Sensitive Zone में है, क्योंकि यह 10 km से कम है।

16. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पलामू परिक्षेत्र का अपर मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक के रूप में वन्य प्राणी से संबंधित मंतव्य प्रस्ताव के साथ संलग्न है। C.W.L.W, झारखण्ड, राँची के मंतव्य हेतु पत्र भेजा जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा।

17. वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, तदोपरान्त प्रस्ताव को Online कर Time Line प्रस्ताव को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विषयगत परियोजना प्रस्ताव की वनभूमि के अपयोजन हेतु अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी इससे सहमत है।

यह प्रस्ताव पलामू जिलान्तर्गत अवस्थित है। भारत सरकार द्वारा यह जिला L.W.E में संसूचित है। अतः इस प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान करने की शक्ति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त है। प्रस्ताव की दो मूल प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु 2.58 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़) अपयोजन हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

[signature] 1/6/016

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

[signature] 1.6.16

D:\SUNIL\Proposal (K)\Poltechnique, School\Sarkari Poltechnique, (2.58 ha)

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

GOVERNMENT POLYTECHNIC COLLEGE, PALAMU 2.58 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 2.58 ha. Forest land.

Date :- 01.06.2016

Place :- Ranchi

Signature

(ARUN KUMAR PRABHAKAR)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of
Forest-cum-Executive Director
Wasteland Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)